उत्तर प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन अनुभाग
संख्या-6/2018/314/तीन-2018-39(2)/12टीसी
लखनऊ : दिनांक : 27 मार्च, 2018

विज्ञप्ति

सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या-813/तीन-2017-39(2)/2016 दिनॉक 10-11-2017 द्वारा वर्ष 2018 हेतु घोषित अवकाशों में दिनॉक 01-04-2018 (दिन रविवार) को निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 के अधीन वाणिज्यिक बैंकों की वार्षिक लेखाबन्दी हेतु अवकाश घोषित किया गया है।

2- इस संबंध में शासन में भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त प्रत्यावेदन/संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वाणिज्यिक बैंकों की वार्षिक लेखाबन्दी के अवसर पर दिनॉक 01-04-2018 के स्थान पर दिनॉक 02-04-2018 को निगोसिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 के अधीन अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

3- उक्त विज्ञप्ति दिनॉक 10-11-2017 इस सीमा तक संशोधित समझी जाए।

(डा0 हरिओम)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/उ0प्र0।
4- प्रमुख सचिव विधान सभा/विधान परिषद, उ0प्र0।
5- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ को सूचनार्थ एवं ऐसी कार्यवाही हेतु प्रेषित जिसे मा0 उच्च न्यायालय आवश्यक समझे।
6- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8- सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3 (अधि0) उत्तर प्रदेश शासन।
9- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
10- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

11- महाप्रबन्धक, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, गोमती नगर, लखनऊ।

12- उप सचिव एवं संयुक्त निदेशक, प्रकाशन उत्तर प्रदेश शासन।

13- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त विज्ञप्ति से अपने मण्डल के अन्तर्गत समस्त जिलाधिकारियों को सूचित करने का कष्ट करें।

14- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

15- कुलपति, डा0 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।

16- तकनीकी निदेशक, नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेन्टर (उत्तर प्रदेश राज्य इकाई) योजनाभवन, लखनऊ को सामान्य प्रशासन विभाग की बेबसाईट पर डालने हेतु।

18- क्षेत्रीय निदेशक, उ0प्र0 एव उत्तरांचल, भारतीय रिजर्व बैक गोमतीनगर, लखनऊ।

आज्ञा से
(हरीराम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।